		पर प्रस्तुत हो। ह0
	26/03/21	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस पर मनन कर पत्रावली, संलग्न दस्तावेज व विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, कि. रेनवाल ने नियम 18 से 21, काश्तकारी नियम (सरकारी) की पालना करते हुए सभी पक्षकारान को जारी तहरीर अनुसार सूचित करते हुए, यह कार्यवाही अधिकांश पक्षकारों की उपस्थिति में की जिसमें अधिक पक्षकारों के होने के कारण काफी समय व सरकारी संसाधनों का उपयोग किया गया। बाकि पक्षकारान की तरह प्रतिवादी नं. 6 को भी इसकी सूचना दी गई व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक-हिस्से की सीमा तक, उसे, प्राप्त नक्शे कुर्रेजात में वादग्रस्त ख. नं. में हिस्सा दिया गया। इस पूर्ण कार्यवाई पर सूचना उपरांत उपस्थित अधिकांश पक्षकारों के [illegible] हस्ताक्षर किये गये हैं। इस पूरी कार्यवाही [illegible] प्रस्तुत इस आपत्ति में यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाया नहीं गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2021.07.27 15:55:07 IST
Reason: SelfAttested

विशेष विव

है कि प्रतिवादी को आपत्ति किन बिन्दुओं पर है व उसका आधार क्या है जो अंकित नहीं दर्शाता। एक पक्षकार की आधारहीन व अस्पष्ट आपत्ति हेतु बाकि सभी पक्षकारों, जो कि संख्या में अधिक हैं, को न्याय से वंचित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अतः इस आपत्ति को खारिज कर बाद मुताबिक नक्शा कुर्रेजात अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से टंकित करवाया जाकर, पत्रावली फैसल शुमार हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सांभर लेक

Signature Not Verified

Digitally signed by Jayant Kumar
Date: 2021.07.27 15:55:07 IST
Reason: SelfAttested